भारत-नेपाल सीमा विवाद सुलझेगा

नेपाल पीएम बालेन शाह का बड़ा बयान, सीमा विवाद पर नया खुलासा

काठमांडू, 31 मई. नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने रविवार को संसद में अपने पहले संबोधन के दौरान भारत-नेपाल सीमा विवाद को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की.उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें ऐसी जानकारी मिली है कि केवल भारत ने ही नेपाल की भूमि पर कब्जा नहीं किया, बल्कि नेपाल की ओर से भी कुछ भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा किया गया है.

उन्होंने कहा कि इस विषय की संयुक्त रूप से जांच की जानी चाहिए ताकि वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके। संसद में सांसदों के सवालों का जवाब देते हुए शाह ने कहा कि सीमा से जुड़े मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से निकाला जाना चाहिए.उन्होंने विशेष रूप से लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा से जुड़े विवादों का उल्लेख करते हुए कहा कि नेपाल ने इस संबंध में भारत को राजनयिक नोट भेजा था, जिसका जवाब भी प्राप्त हो चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लिपुलेख विवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ब्रिटिश भारत के दौर से जुड़ी हुई है.इसी कारण नेपाल ने इस विषय पर केवल भारत और चीन से ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन से भी बातचीत की है.उनका कहना था कि इस जटिल मुद्दे के समाधान के लिए सभी ऐतिहासिक और कूटनीतिक पहलुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। मार्च 2026 में प्रधानमंत्री बनने के बाद यह पहला अवसर था जब बालेन शाह ने संसद को संबोधित किया. विपक्ष लंबे समय से मांग कर रहा था कि प्रधानमंत्री संसद में आकर देश के प्रमुख मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखें।

बालेन शाह की बड़ी बात

1. प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार संसद में बोले बालेन शाह।
2. कहा- केवल भारत ही नहीं, नेपाल ने भी कुछ भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा किया।
3. सीमा विवाद की संयुक्त जांच की वकालत की।
4. लिपुलेख मुद्दे पर भारत को भेजे गए राजनयिक नोट का जिक्र।
5. ब्रिटेन से भी बातचीत करने का दावा किया।
6. विवाद के समाधान के लिए कूटनीतिक वार्ता पर जोर दिया।

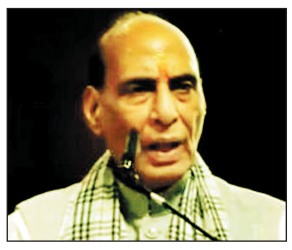

रक्षा संवाद की सह अध्यक्षता करेंगे राजनाथ

नई दिल्ली 31 मई. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स सोमवार को यहां भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के दूसरे संवाद की सह-अध्यक्षता करेंगे. रक्षा मंत्रालय ने रविवार को बताया कि संवाद के दौरान दोनों देशों के नेता द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की प्रगति की समीक्षा करेंगे तथा सहयोग के नए अवसरों की पहचान की जाएगी। इस दौरान रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को सुदृढ़ करने, सैन्य अंतर संचालनीयता को बढ़ाने, उद्योगों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने, जिसमें सह-विकास और सह-उत्पादन के अवसरों तथा पारस्परिक रुचि के क्षेत्रीय एवं वैश्विक सुरक्षा संबंधी विषयों पर प्रमुखता से चर्चा की जायेगी.

पूरी अंतरात्मा से उतरें खेतों में : शिवराज

- 1 जून से रायसेन से शुरू होगा 'खेत बचाओ अभियान
- धरती मां को बचाने का राष्ट्रीय संकल्प

नई दिल्ली/भोपाल/रायसेन, 31 मई. एक जून को मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से होने वाले 'खेत बचाओ अभियान' के राष्ट्रीय शुभारंभ से पूर्व, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज देशभर के कृषि विज्ञान केंद्रों, आईसीएआर संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों, केंद्र एवं राज्य सरकारों के वरिष्ठ कृषि अधिकारियों तथा किसान हित में कार्यरत साथियों से वर्चुअल संवाद कर अभियान को जनभागीदारी, वैज्ञानिक दृष्टि और राष्ट्रीय दायित्व के साथ आगे बढ़ाने का आह्वान किया.

शिवराज सिंह ने इस महत्वपूर्ण अभियान में शामिल होने के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर चर्चा की है, वहीं वे केंद्रीय मंत्रियों और अन्य सभी जनप्रतिनिधियों से भी सहभागिता की अपील कर रहे हैं.

श्री चौहान ने बताया कि 1 जून को रायसेन जिले के रामसिया गांव से प्रारंभ हो रहा राष्ट्रव्यापी 'खेत बचाओ अभियान' किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग, मिट्टी परीक्षण, सॉयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, फसल चयन, जल संरक्षण, हरी खाद, कम वर्षा की स्थिति में वैकल्पिक कृषि पद्धतियों तथा नकली खाद-बीज और पेस्टिसाइड की पहचान जैसे विषयों पर जागरूक करेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि केवल सलाह देना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि खेत स्तर पर डेमो, वैज्ञानिक प्रमाण और व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से किसानों का विश्वास मजबूत करना होगा.

मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड (सुरक्षित और असुरक्षित ऋण व्यवसाय प्रभाग)

muthoot FINCORP Jab zindagi badalni ho

(मुथूट पप्पाचन समूह की कंपनी) CIN : U65929KL1997PLCO11518
प्रशासनिक कार्यालय : 710-ए एवं 711-ए, सातवीं मंजिल, फेस-2, स्पेंसर प्लाजा, माउंट रोड, अन्ना सलाई, चेन्नई-600 002
पंजीकृत कार्यालय : मुथूट सेन्टर, टीसी नं. 27/3022, पुन्नेन रोड, त्रिवेन्द्रम, केरला - 695 001

परिशिष्ट-IV [नियम 8(1)] आधिपत्य सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **मुथूट फिनकार्प लिमिटेड (एमएफएल)** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 की अधिनियम संख्या 54) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, निम्न वर्णित उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(ओं) को एक मांग सूचना निर्गत की थी। उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों की समाप्ति के उपरांत, उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(ओं) राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(ओं) को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न वर्णित सम्पत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त भाक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, निम्नानुसार **आधिपत्य** कर लिया है।

उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर का नाम	मांग सूचना की दिनांक	कुल बकाया राशि (रु.) भावी ब्याज लागू	प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों)/अचल संपत्ति(यों) का विवरण	आधिपत्य की तिथि
ऋण खाता नं. MFLSECUMPDL 000005377828 रवि राजेश (ऋणी) **पवित्रा पवित्रा जाट** (सह-ऋणी)	23-01-2026	₹ 20,52,955 (रुपए बीस लाख बावन हजार नो सौ पचपन मात्र)	**संपत्ति का विवरण** : संपत्ति का स्थान - प.ह.नं.28/69 सर्वे नं.100/1/2 पैकी ग्राम बदोदा ग्राम पंचायत नई बदोदा तेहसील पिथमपुर एवं जिला धार मध्य प्रदेश 454010 **चतुसीमाएं :** उत्तर - संजय जाट का मकान, दक्षिण - भरत जाट का मकान, पूर्व - सामन्य रास्ता, पश्चिम - रास्ते की जमीन पप्पू मीणा	28-05-2026
ऋण खाता नं. MFLMPDSECUL 000005030762 नंद किशोर, बाबुलाल कुमावत (ऋणी) **पदम बाई कुमावत** (सह-ऋणी)	22-01-2026	₹ 20,39,135 (रुपए बीस लाख उन्चालीस हजार एक सौ पैतीस मात्र)	**संपत्ति का विवरण :** संपत्ति का स्थान - वार्ड नं.05, भवन पंजीयन नं.385/1, सत्यनारायण मंदिर गली ग्राम नामली तेहसील जिला रतलाम (म.प्र.) 457222 एवं **संपत्ति की चतुसीमाएं :** उत्तर - रामचन्द्र का मकान, दक्षिण - गोपाल का मकान, पूर्व - मुन्ना लाल जी का मकान, पश्चिम - रोड़	28-05-2026

उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(ओं) को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन-देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, ऊपर अंकित मांगी गई एक राशि तथा इस राशि पर भावी ब्याज हेतु मुथुट फिनकार्प लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।

स्थान : मध्य प्रदेश, दिनांक 28-05-2026

ह/- प्राधिकृत अधिकारी वास्ते मुथुट फिनकार्प लिमिटेड

आज का इतिहास

- 1819 बंगाल में सेरमपुर कालेज की स्थापना।
- 1835 कलकत्ता मेडिकल कॉलेज ने कामकाज शुरू
- 1869 थॉमस अल्वा एडिसन को इलेक्ट्रिक वोट रिकॉर्डर के लिए पेटेंट मिला।
- 1874 ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया गया।
- 1880 अमेरिका के कनेक्टिकट में पहली पेफोन सर्विस शुरू की गई।
- 1926 हॉलीवुड एक्ट्रेस मर्लिन मुनरो का जन्म हुआ।
- 1955 अस्पृश्यता -निरोधक- कानून अस्तित्व में आया।

धामी ने बालिकाओं के साथ सुनी प्रधानमंत्री के मन की बात

देहरादून, 31 मई. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को अपने आवास में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय बालिका छात्रावास की बालिकाओं के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात के 134वें संस्करण को सुना.

उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम देशवासियों को प्रेरित करने वाला एक सशक्त माध्यम बन गया है. प्रधानमंत्री विभिन्न क्षेत्रों की प्रेरणादायक कहानियों को साझा कर, अन्य लोगों को भी जनहित के कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, नवाचार, स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन तथा सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर निरंतर दिए जा रहे संदेश, समाज में सकारात्मक परिवर्तन का आधार बन रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से उत्तराखंड में भी कई ऐसे लोग हैं, जो अपने कार्यों से समाज में बड़े-बड़े परिवर्तन ला रहे हैं. उन्होंने कहा राज्य सरकार ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने का कार्य भी कर रही है. उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री ने भीषण गर्मी के मौसम में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने और गर्मी से बचाव के लिए आवश्यक उपाय अपनाने का आह्वान किया. उन्होंने देशी एवं पारंपरिक पेयों को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए आम सहित भारतीय फलों की विशेषताओं का उल्लेख भी किया.

श्री धामी ने मन की बात कार्यक्रम के उपरांत नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय बालिका छात्रावास की छात्राओं से संवाद किया. इस दौरान उन्होंने छात्राओं से कार्यक्रम के संबंध में फीडबैक प्राप्त किया और उनके विचार जाने. उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ-साथ खेलकूद एवं अपनी रुचि के अन्य क्षेत्रों में भी सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जीवन में छोटे-छोटे सकारात्मक परिवर्तन बड़े बदलावों का आधार बनते हैं.

ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम एवं मणिपुर में एसआईआर शुरू

नई दिल्ली, 31 मई. चुनाव आयोग ने ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के तीसरे चरण के तहत गणना चरण शुरू कर दिया है. इन चार राज्यों में यह अभियान 30 मई से शुरू हो चुका है. जिन पात्र मतदाताओं के फॉर्म 28 जून या उससे पहले अधिकारी के पास जमा हो जाएंगे, उनके नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किये जाएंगे. जो लोग इस तारीख तक फॉर्म जमा नहीं कर पाएंगे, वे बाद में दावा और आपत्ति अवधि के दौरान फॉर्म 6 के जरिए आवेदन कर सकते हैं.

पटना एयरपोर्ट पर बैग से मिले 7 कारतूस

पटना, 31 मई. राजधानी पटना स्थित जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को सुरक्षा जांच के दौरान एक यात्री के बैग से सात जिंदा कारतूस बरामद होने के बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया. मुंबई जाने वाली फ्लाइट में सवार होने की तैयारी कर रहे यात्री को सीआईएसएफ के जवानों ने चेकिंग में पकड़ लिया.

यूग्रो कैपिटल लिमिटेड

UGRO CAPITAL बी-17, चौथी मंजिल, आर्ट गिल्ड हाउस, फीनिक्स मार्केट सिटी, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई- 400070

मांग नोटिस

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के प्रावधानों के तहत

अधोहस्ताक्षरी, अधिनियम के तहत यूग्रो कैपिटल लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नियम 3 के साथ पढ़ा जाए, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी करता/करती हूं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता/उधारकताओं को संबंधित नोटिस में उल्लिखित राशि को उक्त नोटिस की प्राप्ति तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया है। अधोहस्ताक्षरी का यह मानना है कि उधारकर्ता मांग नोटिस की तामील से बच रहे हैं, इसलिए नियमों के अनुसार नोटिस को चिपकाकर और प्रकाशित करके तामील की जा रही है। मांग नोटिस की सामग्री नीचे दी गई है:

उधारकर्ता का नाम	मांग सूचना की तिथि और राशि
1) जीरो गारमेन्टस् 2) बैनर्स, 3) सुधीर जैन, 4) नमिता जैन लैन - UGINRSS0000064156	मांग नोटिस की तिथिः 25 मई 2026 नोटिस राशिः रू. 4,61,35,108.00/- (चार करोड़ इकसठ लाख पैंतीस हजार एक सौ आठ मात्र) 25/05/2026 तक

अचल संपत्ति का वह भाग जो संपत्ति का पताः मकान/प्लॉट सं. 02, शंकर बाग कॉलोनी, मारीमाता चौराहा के पास, तहसील और जिला इंदौर (म.प्र.), कुल क्षेत्रफल 2640 वर्ग फुट और निर्मित 245.35 वर्ग मीटर (1 ग्राउंड फ्लोर और 1 ग्राउंड फ्लोर) है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तर की ओर पीछे वाली गली, दक्षिण की ओर कॉलोनी की सड़क, पूर्व की ओर प्लॉट संख्या 3, पश्चिम की ओर प्लॉट सं. 1

उधारकर्ता(ओं) को सूचित किया जाता है कि वे मांग नोटिस का पालन करें और उसमें और ऊपर उल्लिखित मांग राशि का भुगतान इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर, लागू ब्याज, विलंब शुल्क, बाउंस शुल्क, लागत और व्यय आदि सहित, भुगतान की प्राप्ति की तिथि तक करें। उधारकर्ता(ओं) को यह ध्यान रखना चाहिए कि यूग्रो कैपिटल लिमिटेड एक सुरक्षित ऋणदाता है और उधारकर्ता(ओं) द्वारा लिया गया ऋण अचल संपत्ति(यों) के विरुद्ध एक सुरक्षित ऋण है, जो उधारकर्ता(ओं) द्वारा यूग्रो कैपिटल लिमिटेड के पास गिरवी रखी गई सुरक्षित परिसंपत्ति(यों) हैं।
यदि उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर अपने सभी दायित्वों का पूर्ण भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो यूग्रो कैपिटल लिमिटेड अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत सभी अधिकारों का प्रयोग करते हुए सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्जा करने के लिए अधिकृत होगा, जिसमें बिक्री के माध्यम से उनका हस्तांतरण करना या अधिनियम और उसके अंतर्गत नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय का उपयोग करना शामिल है, ताकि उधारकर्ता के ऋण खाते में बकाया राशि की वसूली की जा सके। यूग्रो कैपिटल लिमिटेड को बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लागू करने से पहले सुरक्षित परिसंपत्तियों को कुर्क करने और/या सील करने का भी अधिकार है। सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री के बाद, यूग्रो कैपिटल लिमिटेड को बकाया राशि की वसूली के लिए अलग से कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है, यदि सुरक्षित परिसंपत्तियों का मूल्य उधारकर्ता द्वारा यूग्रो कैपिटल लिमिटेड को देय राशि को कवर करने के लिए अपर्याप्त है। यह उपाय यूग्रो कैपिटल लिमिटेड को किसी अन्य कानून के तहत उपलब्ध सभी अन्य उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है।
ऋणकर्ता(ओं) का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें सुरक्षित परिसंपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय का उल्लेख है, और अधिनियम की धारा 13(13) की ओर भी, जिसके तहत ऋणकर्ता(ओं) को यूग्रो कैपिटल लिमिटेड की पूर्व लिखित सहमति के बिना सुरक्षित परिसंपत्तियों का निपटान या उनसे संबंधित किसी भी लेन-देन करने या उन्हें बिक्री, पट्टे या किसी अन्य माध्यम से (व्यवसाय के सामान्य क्रम के अलावा) हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। उपरोक्त का अनुपालन न करना अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है। मांग नोटिस की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और ऋणकर्ता(ओं) यदि चाहें तो अधोहस्ताक्षरी से इसे प्राप्त कर सकते हैं।

दिनांकः 01.06.2026
स्थानः इन्दौर

एसडी/- (अधिकृत अधिकारी), यूग्रो कैपिटल लिमिटेड

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(महारत्न कंपनी)

एमटीओ एग्रीगेटर की नियुक्ति

मध्य प्रदेश में मिनरल टर्पेन्टाइन ऑयल (एमटीओ) की बिक्री के लिए पीओएल एग्रीगेटर के तौर पर चयन हेतु पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पात्रता, चयन मानदंड, स्थान, आवेदन का प्रारूप आदि की जानकारी यहाँ उपलब्ध है:
https://hindustanpetroleum.com/pages/advertisements.
अंतिम तिथि: 16 जुलाई 2026 (17:00 बजे)
कोई भी अतिरिक्त जानकारी/शुद्धीपत्र वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

/hpcl/ /hpcl/ /hpcl/ /@Hindustan Petroleum Corporation Limited
www.hindustanpetroleum.com
LiFE Lifestyle for Environment

काबरा ड्रग्स लिमिटेड

CIN: L02423M1989PLC005438
रजि. आफिस : 208, स्वदेश भवन, 2 प्रेस कॉम्प्लेक्स, एबी रोड, इंदौर, मध्यप्रदेश - 452011

31/03/2026 को खत्म हुई तिमाही के लिए ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट का स्टेटमेंट

(लाखों में)

क्र.	विवरण	तिमाही खत्म 31.03.2026	साल खत्म 31.03.2026	इसी तरह के 3 महीने खत्म 31.03.2025
1.	ऑपरेशन से कुल इनकम	3,551.91	9,323.27	64.02
2.	इस समय के लिए नेट प्रॉफिट / (लॉस) (टैक्स से पहले, एक्सेप्शनल और/या एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम)	142,02	572.07	39.26
3.	टैक्स से पहले के समय के लिए नेट प्रॉफिट / (लॉस), (एक्सेप्शनल और/या एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के बाद)	142.02	572.07	39.26
4.	टैक्स के बाद के समय के लिए नेट प्रॉफिट / (लॉस), (एक्सेप्शनल और/या एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के बाद)	106.33	495.98	39.36
5.	इस समय के लिए टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम (जिसमें प्रॉफिट / लॉस शामिल है) (टैक्स के बाद) और दूसरी कॉम्प्रिहेंसिव इनकम (टैक्स के बाद)	106.33	495.98	39.36
6.	इक्विटी शेयर कैपिटल (फेस वैल्यू 10/-)	2,370.79	2,370.79	2,370.79
7.	दूसरी इक्विटी	-	590.66	-
8.	प्रति शेयर कमाई (बेसिक / डाइल्यूटेड)	0.45	2.09	0.21

नोट :- ऊपर दिया गया SEBI (LODR) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल किए गए तिमाही और वर्ष के अंत के परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है. तिमाही और वर्ष के अंत के वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों (www.bseindia.com) पर उपलब्ध है.

काबरा ड्रग्स लिमिटेड हेतु हस्ताक्षरित/-
एन. अरविंद, प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 01895602

दिनांक : 29.05.2026
स्थान : चेन्नई

कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक: 588/लीज़/2026 | **जाहिर सूचना** | **दिनांक: 27.05.2026**

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्य प्रदेश अचल संपत्ति अंतरण नियम 2016 एवं संशोधित 04.05.2021 के प्रावधान अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा निगम स्वामित्व की लीज भूमि/भवन पर नामांतरण/नवीनीकरण/फ्री-होल्ड हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। तालिका में वर्णित भूमि के संबध में किसी भी व्यक्ति/संस्था को नामांतरण/नवीनीकरण/फ्री-होल्ड के संबंध में दावा-आपत्ति/सुझाव हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिन में लेखी प्रमाण के साथ निगम कार्यालय (लीज़ शाखा) में सम्पर्क कर प्रस्तुत करें। समयावधि पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति मान्य नही होगी एवं आवेदक के पक्ष में लीज़ नामांतरण/नवीनीकरण/फ्री-होल्ड की कार्यवाही हेतु नगर निगम द्वारा यथोचित निर्णय लिया जावेगा।

क्र.	मूल/पूर्व लीज गृहिता का नाम	आवेदक का नाम	लीज सम्पति का विवरण	आवेदन का आधार
1.	1 श्रीमती कमला पति श्री ओमप्रकाश बरूआ 2. श्रीमती सुशीला पति श्री प्रभुलाल गोठवाल 3. श्रीमती लक्ष्मी पति श्री महेन्द्र जारवाल 4. श्रीमती पार्वती पति श्री अजीत मरमट	1. श्रीमती कमला पति श्री ओमप्रकाश बरूआ 2. श्रीमती सुशीला पति श्री प्रभुलाल गोठवाल 3. श्रीमती लक्ष्मी पति श्री महेन्द्र जारवाल 4. श्रीमती पार्वती पति श्री अजीत मरमट	ब्लॉक नं. 190 मकान नं. 1 रोड नं. 9 परदेशीपुरा, इन्दौर (600 वर्गफुट)	फ्री-होल्ड
2.	1. श्रीमती कृष्णा पति स्व. श्री प्रमोद गाजवा 2. सुश्री. रितु पिता स्व. श्री प्रमोद गाजवा 3. श्री मनोज पिता स्व. श्री प्रमोद गाजवा	1. श्रीमती कृष्णा पति स्व. श्री प्रमोद गाजवा 2. सुश्री रितु पिता स्व. श्री प्रमोद गाजवा, 3. श्री मनोज पिता स्व. श्री प्रमोद गाजवा	ब्लॉक नं 53,54,55 वर्तमान म्यु मकान नं. 47-48 जूना तुकोगंज (हेमिल्टन रोड) इन्दौर (879 वर्गफुट)	फ्री-होल्ड
3.	1. श्री हरीशचंद्र पिता स्व. श्री चंद्रशेखर त्रिवेदी 2. सविता पिता स्व. श्री चंद्रशेखर त्रिवेदी	1. श्री हरीशचंद्र पिता स्व. श्री चंद्रशेखर त्रिवेदी 2. सविता पिता स्व. श्री चंद्रशेखर त्रिवेदी	ब्लॉक नं. 96 म्यु मकान नं. 88 सुभाष नगर कॉटन अड्डा परदेशीपुरा इन्दौर (1500 वर्गफुट)	फ्री-होल्ड
4	1. श्रीमती विजयलक्ष्मी पति श्री सुरेन्द्र कुमार सोनी 2. श्रीमती मंजू पति श्री अनुराग सोनी	1. श्रीमती विजयलक्ष्मी पति श्री सुरेन्द्र कुमार सोनी 2. श्रीमती मंजू पति श्री अनुराग सोनी	ब्लॉक नं. 07 म.न. पु. 60 नया 26/1/1 रोशन सिंह भंडारी मार्ग नार्थ, तुकोगंज, इन्दौर (5203 वर्गफुट)	फ्री-होल्ड
5.	1. श्री राघेश्याम पिता श्री मोतीलाल अग्रवाल 2. श्री रोहित पिता श्री राघेश्याम अग्रवाल	1. श्री राघेश्याम पिता श्री मोतीलाल अग्रवाल 2. श्री रोहित पिता श्री राघेश्याम अग्रवाल	ब्लॉक नं. 13 बी म.नं. 22 गली नं. 02 मनोरमागंज, इन्दौर (6000 वर्गफुट)	नवीनीकरण
6.	श्री नूर मोहम्मद पिता श्री फतेह मोहम्मद	श्री हितेश पिता श्री राजमल जैन श्री विशाल पिता श्री राजमल मारू	ब्लॉक नं. 26 म.नं. पु. 15 नया 19 परदेशीपुरा, इन्दौर (2400 वर्गफुट)	विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण
7.	श्री सुरेन्द्र कुमार पिता श्री नारायण सोनी श्रीमती विजय लक्ष्मी पति श्री सुरेन्द्र कुमार सोनी श्री अनुराग कुमार पिता श्री सुरेन्द्र कुमार सोनी	श्री राजेश पिता स्व. श्री आर पी. भार्गव	ब्लॉक 21 म.नं. 17/1 एवं 17/2 रेसकोर्स रोड रोशन सिंह भंडारी मार्ग इन्दौर (कुल भूमि 22310 वर्गफुट म.नं. 17/1 की फ्री होल्ड भूमि का 11316.38 वर्गफुट एवं 17/2 की नामांतरण की जाने वाली भूमि 10993.62 वर्गफुट)	विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण
8	श्री दिनकर पिता श्री श्रीपाद होनावर	श्रीमती सरस्वती पति श्री गोविंद माहेश्वरी	म.नं. पु. 66 नया 7/3 सी रेसकोर्स रोड, इन्दौर (6468.09 वर्गफुट)	विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण
9	श्री शंकरलाल पिता श्री देवष्ण दुबे	श्री अतुल पिता श्री विमल कुमार वेद	मकान नं. 62/7 मनोरमागंज, इन्दौर (2421.9 वर्गफुट)	विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण
10	1. मुक्तेश सिंह पिता श्री देवेन्द्र सिंह 2. श्रीमती महेन्द्र कुमारी पति श्री ठाकुर देवेन्द्र सिंह 3. श्री ठाकुर देवेन्द्र सिंह पिता स्व. श्री मान सिंह 4. श्री सिद्धार्थ सिंह पिता श्री मुक्तेश सिंह	श्री सिद्धार्थ सिंह पिता श्री मुक्तेश सिंह गिरनार	ब्लॉक नं. 25 सी म.नं. 3/2 मनोरमागंज, इन्दौर (8400 वर्गफुट)	वसीयत एवं गिफ्ट डीड के आधार पर नामांतरण एवं नवीनीकरण
11	श्रीमती कमलाबाई पति श्री रामदास मोदी	श्री आदित्य पिता श्री अश्विनी कुमार मोदी श्रीमती लता पति श्री अनिल मोदी	ब्लॉक नं. 61/1 वर्तमान म.नं. 2/3 मनोरमागंज, इन्दौर (20040 वर्गफुट)	वसीयत के आधार पर नामांतरण
12	डॉ. एच. सी. गुप्ता	कल्पना पिता स्व. श्री डॉ. हरीशचन्द्र गुप्ता	मकान नं. 62/2 गली नं. 03 मनोरमागंज, इन्दौर (2080 वर्गफुट)	वसीयत के आधार पर नामांतरण
13	श्री कुन्दनमल डागरिया व श्री सावंतमल धाकड़	1. श्री आनंद माहेश्वरी पिता सत्यनारायण माहेश्वरी 2. श्री देवेन्द्र धाकड़ पिता सावंतमल धाकड़	ब्लॉक नं. 04 मकान नं. 11 नया 74 पुराना, ओल्ड पलासिया ए.बी.रोड, इन्दौर कुल क्षेत्रफल 19250 वर्गफुट (श्री आनंद माहेश्वरी द्वारा क्रय 9625 वर्गफुट भूमि तथा श्री देवेन्द्र धाकड़ को वारिसनाते प्राप्त 9625 वर्गफुट)	विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण एवं वारिसनाते
14	श्री जे. सी. तलवार	श्री दीपक पिता स्व. श्री जगदीशचन्द्र तलवार	ब्लॉक नं. 11 B प्लाट नं. 03 मकान नं. 19/2 मनोरमागंज इन्दौर 4340 वर्गफुट	वारिसनाते नामांतरण एवं नवीनीकरण

अपर आयुक्त
लीज़ प्रकोष्ठ
नगर पालिक निगम, इन्दौर

एनआईए के डिप्टी एसपी की सड़क हादसे में मौत

- हादसे में महिला साथी घायल, जांच में जुटी पुलिस
- आगे चल रहे कंटेनर से टकरा गई बाइक

मुरादाबाद, 31 मई. उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में देर रात हुए सड़क हादसे में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के डिप्टी एसपी ईशान मेहरा की मौत हो गई.

हादसा दिल्ली-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कटघर थाना क्षेत्र के देवापुर गांव के पास हुआ, जहां उनकी तेज रफ्तार बाइक आगे चल रहे कंटेनर से टकरा गई. पुलिस के अनुसार, 32 वर्षीय ईशान मेहरा पंजाब के मोहाली के निवासी थे और दिल्ली स्थित एनआईए कार्यालय में डिप्टी एसपी के पद पर तैनात थे.

वह अपनी महिला मित्र पूनम के साथ बाइक से दिल्ली से बाजपुर की ओर जा रहे थे. रात करीब साढ़े 11 बजे उनकी बाइक राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजर रही थी, तभी अचानक आगे चल रहे कंटेनर से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइक सवार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस और आपातकालीन सेवाओं की टीम मौके पर पहुंची और दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया.

अस्पताल में चिकित्सकों ने ईशान मेहरा को मृत घोषित कर दिया. जबकि घायल महिला का इलाज जारी है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया और परिजन शव को अपने साथ ले गए. इसी बीच, गंगा एक्सप्रेसवे पर भी लगातार बढ़ रहे सड़क हादसे चिंता का विषय बने हुए हैं.

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

Chola Enter a better life
कॉर्पोरेट कार्यालयः "चोला क्रेस्ट", सी54 और 55, सुपर बी-4, थिरु.वी.का औद्योगिक एस्टेट, गिंडी, चेन्नई - 600 032.

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी की सूचना

प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002, नियम 9(1) सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना। (नियम 8 एवं 9)

आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गिरवीदार को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां, जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी रखी गई हैं और जिनका सांकेतिक कब्जा चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, उन्हें आगे चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के रूप में संदर्भित किया जाएगा। सुरक्षित संपत्तियों की बिक्री "जैसी है, जहां है", "जैसी है वैसी ही" और "जो कुछ भी उपलब्ध है" के आधार पर ई-नीलामी के माध्यम से की जाएगी।
आम जनता को सूचित किया जाता है कि हम वेबसाइट https://bankauctions.in/ के माध्यम से सार्वजनिक ई-नीलामी आयोजित करने जा रहे हैं।

क्रमांक 1: ऋण खाता संख्या TL01BPL0000059530, उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता, गिरवीदारों के नामः 1. मेसर्स उमेश यातायात एजेंसी (उधारकर्ता), 2. श्री यशवंत तलवार (सह-उधारकर्ता), 3. श्रीमती मीराबाई ईश्वरदत्ता (सह-उधारकर्ता)। सभी का पताः 545, सनशाईन पब्लिक स्कूल के पास, सुदामा नगर, इंदौर-452 009। बकाया राशिः 68,42,225/- दिनांक 16.10.2025 तक।
अचल संपत्ति [सुरक्षित परिसंपत्ति] का विवरणः कृष्णा पैलेस, प्लॉट/मकान संख्या 545, सुदामा नगर, सेक्टर-ए, तहसील और जिला इंदौर (मध्य प्रदेश) में स्थित अचल संपत्ति का पूरा भाग/हिस्सा (ग्राउंड फ्लोर/पोर्शन संख्या G-01) 113.99 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली यह संपत्ति निम्नलिखित प्रकार से सीमांकित हैः पूर्व दिशा में सड़क, पश्चिम दिशा में प्लॉट/मकान संख्या 544, उत्तर दिशा में प्लॉट/मकान संख्या 546, दक्षिण दिशा में प्लॉट/मकान संख्या 545-ए।
आरक्षित मूल्यः 61,75,000/-, ईएमडीः 6,17,500/-, बोली वृद्धि राशिः 1,00,000/-

क्रमांक 2: ऋण खाता संख्या TL01IND0000061242, उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता, गिरवीदारों के नामः 1. मेसर्स नायक कंस्ट्रक्शन (उधारकर्ता), 2. श्री गुलाब नायक (सह-उधारकर्ता), 3. श्री हुकुम (सह-उधारकर्ता), 4. श्रीमती तोताबाई (सह-उधारकर्ता), 5. श्री सुक्रम नायक (सह-उधारकर्ता)। सभी का पताः 58, धपला तांडापुरा, धपला, धानी, धार, मध्य प्रदेश-454 552। बकाया राशिः 48,63,072/- 15.10.2025 तक। अचल संपत्ति [सुरक्षित परिसंपत्ति] का विवरणः सर्वे संख्या 351, ग्राम बंजारापुरा, तहसील धरमपुरी, जिला धार, मध्य प्रदेश में स्थित मकान का पूरा हिस्सा। कुल क्षेत्रफल 7620.00 वर्ग फुट (708.178 वर्ग मीटर) है, और इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैंः पूर्वः सुक्रम नायक की भूमि, पश्चिमः सुक्रम नायक की शेष भूमि, उत्तरः मानसिंह की भूमि, दक्षिणः मुन्ना की भूमि और मंदिर की भूमि, फिर सड़क।
आरक्षित मूल्यः 47,64,000/-, ईएमडीः 4,76,400/-, बोली वृद्धि राशिः 1,00,000/-

ई-नीलामी की तिथि और समयः 07.07.2026 - सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक (प्रत्येक बार 3 मिनट का असीमित विस्तार)। ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथिः 06.07.2026 । संपत्ति निरीक्षण की तिथिः नियुक्ति के अनुसार।

1. सभी इच्छुक प्रतिभागियों/बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे वेबसाइट https://bankauctions.in और www.foreclosureindia.com पर जाएं। ई-नीलामी से संबंधित जानकारी, सहायता, प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए, इच्छुक बोलीदाता मेसर्स फोरक्लोजर से संपर्क कर सकते हैं (संपर्क व्यक्तिः श्री नितेश पवार, फोन नंबरः 8142000725, ईमेलः nithesh@bankauctions.in)।
2. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए नियम और शर्तों की अधिक जानकारी के लिए कृपया https://bankauctions.in/ और https://cholamandalam.com/news/auction-notices पर जाएं या श्री आशीष कुमार पांडा (फोनः 98195 38003) / श्री अमित शर्मा (फोनः 7566766000) से संपर्क करें।

यह नियम 8(6), नियम 8 और 9 तथा सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के तहत एक वैधानिक 30 दिन की बिक्री सूचना भी है।

दिनांकः 01.06.2026
स्थानः स.क्र. 1: इन्दौर, स.क्र. 2: धार

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड।